

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2a

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :-

छात्र रु. 75/- प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह)	छात्रा रु. 125/- प्रतिमाह(अधिकतम 10 माह)
---	--

C. आवश्यक दस्तावेज:- सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 2b

दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2025—26

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पीएम यशस्वी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :—

1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता—पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा—6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:— 4000 रु./— प्रति विद्यार्थी (वार्षिक)

C. आवश्यक दस्तावेज:— सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:—

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.:
16332140

eSign DSC

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2C

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

- विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) तथा 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) का ही हो।
- विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध) में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
- विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
- विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :-

वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
छात्र	6 से 8	50 रु./- प्रतिमाह	9 से 10	60 रु./- प्रतिमाह
छात्रा	6 से 8	100 रु./- प्रतिमाह	9 से 10	120 रु./- प्रतिमाह

C. **आवश्यक दस्तावेज:-** सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.:
16332140

eSign DSC

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2d

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

पोस्ट-कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी पोस्ट-कारगिल युद्धों (01.04.1999 के पश्चात्) तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद/स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (कक्षा 9-12 हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध) में कक्षा 1 से 12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
5. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :- 180 रु./- प्रतिमाह (अधिकतम 10माह हेतु)

C. आवश्यक दस्तावेज:-

सक्षम स्तर से जारी अभिभावक के शहीद या स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.:
16332140

eSign DSC

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2e

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध) में कक्षा 11/12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. गत कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किये हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्रा को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई छात्रा अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करती है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।

8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें :- 100 रु./- प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह हेतु)

C. आवश्यक दस्तावेज:- सक्षम स्तर से जारी अभिभावक के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.:
16332140

eSign DSC

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2f

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध) में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:-

डेस्कॉलर	3500 रु./- वार्षिक	हॉस्टलर	7000 रु./- वार्षिक
----------	--------------------	---------	--------------------

C. **आवश्यक दस्तावेज:-** सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.:
16332140

eSign DSC

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2g

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. पात्रता एवं शर्तें :-

1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध) में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।

विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:-

विवरण	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृत्ति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रुपये

C. आवश्यक दस्तावेज:- सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/2h

दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

केन्द्र प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. पात्रता एवं शर्तें :-

- विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में हो। इस हेतु स्थानीय निकाय/सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
- विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (कक्षा 9-10 हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से सम्बद्ध) में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
- विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
- विद्यार्थी को एक कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
- विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. छात्रवृत्ति की दरें:-

डेस्कॉलर		हॉस्टलर	
कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान	कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान
1 से 10	3500	3 से 10	8000

C. **आवश्यक दस्तावेज:-** सक्षम स्तर से जारी अभिभावक के सफाईकर्म या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

D. तिथि विवरण:-

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	30.09.2025
---	-------------------

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान